IA No. 01/2023
एस०टी०संख्या 269/2020
सरकार बनाम मनीष शर्मा आदि
धारा 498A,304B,34 भा०द०सं०
थाना सिहानीगेट,गाजियाबाद।

19–10–2023

1– पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

2– वादी पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं० 46 ख प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया हैं कि पी०डब्लू–1 मूलचन्द्र शर्मा, पी०डब्लू–2 पवन शर्मा, पी०डब्लू–3 दिपाकुर शर्मा एवं पी०डब्लू–4 अनिल रावत की साक्ष्य हो चुकी है। गवाह सुरेन्द्र, सावित्री, आकाश त्यागी एवं गार्ड शुभम यादव अभियुक्तगण के सम्पर्क में है तथा अभियुक्तगण के दबाव व प्रभाव में आकर अभियोजन कथानक पर विपरीत प्रभाव डाल सकते है। इसलिये वादी मुकदमा उक्त गवाहान सुरेन्द्र, सावित्री, आकाश एवं गार्ड शुभम यादव को साक्ष्य में पेश करना नहीं चाहते है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आधार पर उक्त गवाहान सुरेन्द्र, सावित्री, आकाश एवं गार्ड शुभम यादव को साक्ष्य से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

3– उक्त प्रार्थनापत्र को विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा सबमिट किया गया हैं।

4– उक्त प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति कागज सं० 47 ख प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि वादी की ओर से गवाहो को उन्मोचन किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र गलत व मिथ्या तथ्यो के आधार पर दिया गया है। वादी मुकदमा न्यायालय के समक्ष उन्हीं गवाहो को पेश करना चाहता जो अभियोजन कथानक का समर्थन करें। तथ्य के पांच गवाहो में से वादी मुकदमा के चार गवाह उसके करीबी/रिश्तेदार है। शिकायतकर्ता ने एक अन्य गवाह से ए०आर०रिफ्लेक्शन सोसायटी राजनगर में जाकर मुलाकात की, जो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी। इस प्रकार शिकायतकर्ता मात्र झूठी व बनावटी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने पर बल दिया गया।

5– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता हैं कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी पुत्री शालिनी शर्मा की शादी मनीष के साथ करना, शादी के बाद मनीष व उसके परिवार वालो द्वारा वादी की पुत्री को तंग व परेशान करना, दहेज की मांग करना और दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री की हत्या करने का, अभियुक्तगण पर आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में पी०डब्लू–1 मूलचन्द्र वादी मुकदमा (मृतका का पिता), पी०डब्लू–2 पवन (मृतका का चचेरा भाई), पी०डब्लू–3 दीपाकुंर शर्मा (मृतका का भाई), पी०डब्लू–4

अनिल कुमार रावत(स्वतंत्र गवाह), पी०डब्लू–5 नवीन कुमार (स्वतंत्र गवाह) को परीक्षित कराया गया है। इसी स्तर पर वादी की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके तथ्य के अन्य गवाहान सुरेन्द्र, सावित्री, आकाश एवं गार्ड शुभम यादव को साक्ष्य से उन्मोचित किये जाने हेतु याचना की गयी है, जिस पर अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति की गयी। अभियुक्तगण पर दहेज हत्या के आरोप लगाये गये हैं जिस कारण दहेज हत्या का प्रत्यक्ष साक्ष्य न होकर मृतका की मृत्यु से पूर्व उसके साथ की गयी क्रूरता, प्रताड़ना के बारे में मृतका द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पिता व रिश्तेदार को बतायी गयी बातों एवं व्यवहार पर आधारित हैं जिन तथ्यो को मृतका के पिता/रिश्तेदारो द्वारा साबित करना हैं। यह उल्लेखनीय हैं कि अभियोजन को अपना केस साबित करना हैं और वह अपने केस को साबित करने के लिये जिन गवाहो को पेश करना चाहता हैं, वह पेश कर सकता हैं। यदि अभियोजन आरोपपत्र में उल्लिखित किसी गवाह को परीक्षित नहीं कराना चाहता तो उसे धारा 311 द०प्र०सं० के प्रावधानो के अतिरिक्त बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं० 46 ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं० 46 ख स्वीकार करते हुए अभियोजन के तथ्य के गवाहान सुरेन्द्र, सावित्री, आकाश एवं गार्ड शुभम यादव को उनकी साक्ष्य से उन्मोचित किया जाता हैं। तदनुसार अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति कागज सं० 47 ख निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 31–10–2023 को पेश हो। शेष गवाह जरिये सम्मन तलब हो।

(मुकेश कुमार सिंह–प्रथम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 6 गाजियाबाद।

Digitally signed by MUKESH KUMAR SINGH I
Date: 2023.10.19 17:51:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court